प्र. सं. 273/21 Online No. 2021/488

नरेश / राज. राज्य

27/10/22

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के पत्रावली मौजूद लिमिट के समक्ष रखी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वादी के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन उक्त प्रकरण की अन्तर्गत और भी राजस्व पक्षकार के खिलाफ को पक्षकार बनाया जाना वांछित होने से एवं उक्त प्रकरण में किसी का जवाब नहीं आने से उक्त प्रकरण को प्रार्थी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रत्याहरित (विड्रो) करना चाहते है और नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण प्रत्याहरित (विड्रो) किया जाता है प्रार्थी को नया वाद पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Naresh [illegible]

[illegible] A1

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा